26

संख्याः 1909 /VIII/12–13(श्रम)/2010

प्रेषक,

आर॰पी॰ फुलोरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी,
नैनीताल।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादून, दिनाँकः 04 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2012

विषयः– श्रम न्यायालय, काशीपुर के कार्यालय/भवन निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 150/VIII/11–13(श्रम)/201, दि॰ 29 मार्च, 2011 के द्वारा निर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के क्रम में एवं आपके पत्र संख्याः 3069/नजा॰/एक–7(1)/09–10, दि॰ 18 अगस्त, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रम न्यायालय, काशीपुर के कार्यालय भवन निर्माण के द्वितीय चरण हेतु प्राप्त आंगणन ₹ 166.25 लाख के सापेक्ष टी॰ए॰सी॰ वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि **₹ 129.97 लाख (रू॰ एक करोड़ उन्तीस लाख सतानवें हजार)** के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **₹ 65.00 लाख (रूपये पैंसठ लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की

स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मित्तव्ययता नितांत आवश्यक है, मित्तव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज़ रूल्स एवं मित्तव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

4– आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी॰एम॰–17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग की उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनविार्य होगा।

5– बी॰एम॰–13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलंबतम् 05 तारीख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय।

6– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 163/xxvii(7)/2007, दि॰ 22 मई, 2008 एवं संख्याः 475/xxvii(7), दि॰ 15 दिसम्बर, 2008 के द्वारा निर्धारित समझौता ज्ञापन (एम॰ओ॰यू॰) कार्यदायी संस्था के साथ अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– मानक मदों के आहरण प्रणाली के संबंध में शासनादेश संख्याः ब–06/X–2–2010–12(11)/009, दि॰ 31 मार्च, 2010 द्वारा दिए गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

8– सुराज, भ्रष्टाचार उन्नमूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 640/XXX-01(02)/2011, दि॰ 12 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्राविधानित "सत्यनिष्ठा अनुबंध" की व्यवस्था निर्धारित प्रारूप के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

9– उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियांवयन के लिए न किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनाँकः 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय।

10– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक 4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य, आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन,

03–श्रम आयुक्त के अधीन आवासीय/अनावासीय भवन/भूमि क्रय की मानक मद संख्या 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः यू०ओ०– 59पी०/XXVII(5)/2012, दिनाँकः 26 नवम्बर, 2012 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर०पी० फुलोरिया)
अपर सचिव।

संख्याः– 1909 (1)/VIII/12–13(श्रम)/2010, तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, काशीपुर।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, हल्द्वानी/नैनीताल।
5. परियोजना प्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लि०, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
6. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर०पी० फुलोरिया)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्याः 1909 /VIII/12–13(श्रम)/2010, दिनाँकः 04 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2012 का संलग्नक

(धनराशि ₹ लाख में)

कार्य का विवरण	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत वर्ष 2012–13	वर्ष 2012–13 में अवमुक्त की जा रही धनराशि (प्रथम किश्त)
1	2	3	4
श्रम न्यायालय, काशीपुर के कार्यालय/भवन निर्माण हेतु	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।	129.97	65.00
	योग	129.97	65.00

(धनराशि रू॰ पैंसठ लाख मात्र)

(आर॰पी॰ फुलोरिया)
अपर सचिव।